

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

(जी-३ राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर-१६)

क्रमांक :- ४२८०/१११/४२८१

दिनांक:- ११/११/२०१९

विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग सूचना

जन लेखा समिति निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा हेतु निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर की अध्यक्षता में राज्य की सभी नगरीय निकायों के साथ विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग आयोजित की जाएगी। अतः सभी उप निदेशक (क्षेत्रीय) एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिला मुख्यालय के जन सेवा केन्द्र के विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग रूम में निर्धारित समय पर मय सम्बंधित अधिकारी/कार्मिक के आवश्यक रूप से उपस्थित रहे :—

| क्र.सं. | दिनांक | समय |
|---------|-------------|--------------------|
| 01 | 11.09.2019- | 04:00PM से 06:00PM |

संलग्न:- एजेंडा नोट

क्रमांक :- ४२८२-४२९७

प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- कार्यकारी निदेशक, रुडसिको जयपुर।
- परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
- परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त स्थानीय निकाय विभाग।
- आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त स्थानीय निकाय विभाग।
- समन्वयक, सी.एम.ए.आर., स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर को आवश्यक अल्पाहार व्यवस्था हेतु प्रेषित है।
- कार्यालय अधीक्षक/केयर टेकर, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर को सभागार में आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रेषित है।


(सुनील भाटी)
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक:- ०९/०९/२०१९


(सुनील भाटी)
अतिरिक्त निदेशक

जन लेखा समिति प्रतिवेदन (LFAD) वर्ष 2016-17 में समाविष्ट अनुच्छेदों एवं संबंधित नगरीय
निकायों की सूची जिन पर V.C में चला गया।

| क्र.सं. | अनुच्छेद संख्या | अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण | अनु. में सम्मिलित नगर निकायों की संख्या एवं नाम |
|---------|-----------------|--|---|
| 1. | 1.3.1 | बकाया अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आक्षेप | 3. |
| 2. | 1.3.2 | अंकेक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना | — |
| 3. | 1.3.3 | गंभीर अनियमितताओं संबंधी "अ" श्रेणी प्रारूप प्रालेख | — |
| 4. | 1.3.4 | गबन प्रकरण | — |
| 5. | 4.1 | प्रस्तावना | — |
| 6. | 4.2 | संगठनात्मक ढांचा | — |
| 7. | 4.3 | लेखों का संधारण एवं अंकेक्षण | — |
| 8. | 4.4 | वित्तीय स्त्रोत | — |
| 9. | 4.5.1 | रोकड़ पुस्तिका एवं निजी निक्षेप (पी. डी.) / बैंक खातों के अवशेषों का मिलान | 10. |
| 10. | 4.5.2 | आंवटित निधियों से अधिक व्यय | 10. |
| 11. | 4.5.3 | अग्रिम के समायोजन का अभाव | 10. |
| 12. | 4.5.4 | नगरीय निर्धारण (लीज) राशि संचित निधि में जमा कराने का अभाव | 10. |
| 13. | 4.5.5 | कृषि भूमि नियमन से प्राप्त राशि में राज्य सरकार की हिस्सा राशि राजकोष में जमा का अभाव | 10. |
| 14. | 4.5.6 | सम्पत्तियों के किराये की बकाया | 10. |
| 15. | 4.5.7 | कार्मिकों के वेतन से की गई कटौतियों की राशि संबंधित मद/विभाग में समय पर नहीं कराया जाना | 10. |
| 16. | 4.5.8 | वित्त विभाग के निर्देशों के विरुद्ध निधियों का विनियोजन | 10. |
| 17. | 4.5.9 | स्थायी सम्पत्तियों के अभिलेखों के संधारण का अभाव | 18. |
| 18. | 4.6.1 | बकाया अंकेक्षण प्रतिवेदन व आक्षेप | 26. |

| | | | समस्त निकायों से संबंधित | |
|-----|-------|---|--------------------------|---|
| 19. | 4.6.2 | गंभीर अनियमितताओं संबंधी "अ" श्रेणी प्रारूप प्रालेख | - | |
| 20. | 5.1.1 | भू—उपयोग परिवर्तन राशि की कम वसूली | 2. | उदयपुर एवं जोधपुर |
| 21. | 5.1.2 | बी.एस.यू.पी (शेल्टर) फण्ड की वसूली का अभाव | 1. | बड़ीसादड़ी |
| 22. | 5.1.3 | बेटरमेन्ट लेवी की वसूली का अभाव | 1. | उदयपुर |
| 23. | 5.1.4 | भूमि पर किये गये अतिक्रमण का अनियमित नियमन | 1. | बांसवाड़ा |
| 24. | 5.2.1 | भूखण्ड का आंवटन स्वतः निरस्त योग्य होने पर भी नीलामी द्वारा विक्रिय का अभाव | 1. | उदयपुर |
| 25. | 5.3.1 | मैदान किराये राशि की वसूली का अभाव, (अ, ब) | 2. | अ.—जोधपुर, ब.—जोधपुर |
| 26. | 5.3.2 | विवाह स्थलों से निर्धारित शुल्कों की वसूली का अभाव | 1. | बूद्धी |
| 27. | 5.3.3 | गृहकर एवं नगरीय विकास कर की वसूली का अभाव | 5. | जयपुर, कोटा, सीकर, मुण्डवा (नागौर) मालपुरा (टॉक) |
| 28. | 5.4.1 | संवेदक का अधिक भुगतान | 2. | जोधपुर, बांसवाड़ा |
| 29. | 5.4.2 | विलम्ब से संपादित कार्य पर परिनिर्धारित शास्ति की वसूली का अभाव | 2. | बांसवाड़ा, जोधपुर |
| 30. | 5.5.1 | अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति | 2. | उदयपुर, बड़ीसादड़ी |
| 31. | 5.6.1 | ब्याज एवं पेनल्टी के भुगतान से हानि | 1. | रावतभाटा |
| 32. | 5.6.2 | नियमन शुल्क की राशि राजकोष में जमा का अभाव | 1. | पोकरण |
| 33. | 5.6.3 | नगरीय निर्धारण (लीज रेन्ट) की राशि राज्य की संचित निधि में जमा का अभाव | 9. | ब्यावर, गुलाबपुरा निवाई, लोसल, सीकर, भादरा, तारानगर, सांगोद, अन्ता |
| 34. | 5.6.4 | नियमन की प्राप्त राशि में से नगरीय पुनर्नवीनीकरण निधि में राशि अन्तरण का अभाव | 1. | ब्यावर |
| 35. | 5.6.5 | अग्रिम के समायोजन का अभाव | 1. | किशनगढ़ |
| 36. | 5.6.6 | अधिक मात्रा में कार्य संपादन पर अनियमित भुगतान | 1. | निम्बाहेड़ा |
| 37. | 5.7 | शहरी स्थानीय निकायों में गबन | - | सामान्य अनु० (समस्त नगरीय निकायों से सम्बद्ध) |
| 38. | 10.2 | बकाया "अ" श्रेणी प्रतिवेदनों / आक्षेपों की स्थिति | - | सामान्य अनु० (समस्त नगरीय निकायों से सम्बद्ध) |